चित्रकूट-पुलिस

(1). चित्रकूट पुलिस द्वारा किया गया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश

01 अभियुक्त गिरफ्तार

भारी मात्रा में निर्मित, अर्द्धनिर्मित शस्त्र, कारतूस एवं शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफास करते हुये, शस्त्र निर्माण करने वाले 01 अभियुक्त को भारी मात्रा में निर्मित, अर्द्धनिर्मित शस्त्र, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

चुन्नीलाल यादव उर्फ वाणासुर पुत्र वुकुवा ग्राम डण्डिया मजरा पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

(1). 06 अदद निर्मित व 03 अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र (विभिन्न बोर के)

(2). 07 अदद कारतूस (विभिन्न बोर के)

(3). 01 अदद भट्टी लोहे की

(4). शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

स्थान-आम का बाग बहद ग्राम डण्डिया मजरा पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट, **दिनाँक** 11.04.2024 **समय-**04:50 (सुबह)

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 11.04.2024 को थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं उनकी टीम थाना क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत शान्ति व्यस्था बनाए रखने हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि चुन्नीलाल यादव उर्फ वाणासुर ग्राम डण्डिया स्थित अपने आम के बाग में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री लगाये हुए है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष भरतकूप तथा उनकी टीम मुखविर द्वारा बताये हुए स्थान पर पहुँचे एवं पुलिस टीम ने बताये गये स्थान को चारों तरफ से घेर कर आम के बाम से चुन्नीलाल यादव उर्फ वाणासुर पुत्र वुकुवा ग्राम डण्डिया मजरा पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। मौके से गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद तमंचा 315 बोर, 02 तमंचा 12 बोर, 03 अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा, 07 अदद कारतूस, 01 अदद लोहे की भट्टी एवं शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण बरामद हुये। अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के सम्बन्ध में थाना भरतकूप में मु0अ0सं0-579/2024 धारा-5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह

2.उ0नि0 श्री अजहर जमाल

3.उ0नि0 श्री बालकिशुन

4.मुख्य आरक्षी कल्लू खां

5.आरक्षी संदपी लोधी

6.आरक्षी सतीश यादव

7.आरक्षी शिवम मिश्रा

8.महिला आरक्षी दीपिका

(2) नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 11.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे 71 लीटर कत्ती शराब बरामद की।

(i). उ0नि0 श्री मुकेश सिंह परिहार थाना मानिकपुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रामजी पुत्र होरिल निवासी गिदुरहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 30 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगी</u>

30 लीटर कच्ची शराब

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम:-</u>

1.उ0नि0 श्री मुकेश सिंह परिहार थाना मानिकपुर

2.आरक्षी अजीजुद्दीन

3.आरक्षी अंकित राजपूतॉ

(ii). उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गौरी शंकर पुत्र जीतऊ पुत्र उफरौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 41 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी

41 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह थाना राजापुर

2.उ0नि0 श्री अकिंत सिंह

3.आरक्षी प्रकाश मिश्रा

4.आरक्षी अजय मिश्रा

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस ने 02 अभियुक्त को 02 अदद अवैध तमंचा व 05 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

(I) उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी आकाश,आरक्षी मोहित द्वारा अभियुक्त सुनील पाल पुत्र श्यामपाल निवासी ग्राम फुलकुमारी थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(II) उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय तथा उनके हमराही आरक्षी विकास सिंह द्वारा अभियुक्त शरद सक्सेना पुत्र किशोर सक्सेना निवासी ऊँचागंगा दरवाजा थाना कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद को 01 अदद तमंचा 12 बोर व 04 अदद कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी शिवरामपुर उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी द्वारा 24 घण्टे के अन्दर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 चोर को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय की दिनांक 10.04.2024 को श्री रामबदन पुत्र शंकरलाल निवासी कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना स्थानीय में सूचना दी गयी कि दिनांक 09.04.2024 को किराये के मकान शिवरामपुर में सो रहा था कि रात्रि में लाइट चली जाने के कारण दरवाजा खोल दिया जिस दौरान अज्ञात चोर ने उनका मोबाइल VIVO Y 91 तथा VIVO Y 21 चोरी हो गयी है । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 254/2024 धारा 380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा घटना का संज्ञान लेकर चौकी प्रभारी शिवरामपुर को घटना के अनावरण हेतु लगाया गया। चौकी प्रभारी शिवरामपुर उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी तथा उनकी टीम द्वारा अधिक प्रयास करते हुए वादी के मोबाइल की लोकेशन से पकड़ लिया गया। अभियुक्त सुनील पुत्र चुनबादी नऊवा निवासी रामपुरवा मजरा बैहार थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को चोरी के मोबाइल VIVO Y 91 तथा VIVO Y 21 के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं चोरी के माल बरामद की के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोतरी की गयी । इस प्रकार सूचना के मात्र 24 घण्टे के अन्दर चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया ।

अभियुक्तों का विवरणः-

सुनील पुत्र चुनवादी नऊवा निवासी रामपुरवा मजरा बैहार थाना भरतकूप चित्रकूट

बरामदगीः-

(1).चोरी का 02 अदद मोबाइल

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.चौकी प्रभारी शिवरामपुर उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी
2.आरक्षी श्यामू
3.आरक्षी नरेन्द्र

(6). आज दिनांक 11.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री मनीष कुमार द्वारा थाना मारकुण्डी क्षेत्र के टिकरिया स्टेशन,टिकरिया गाँव,जमुनिहाई,मनिगवां,डोढामाफी,बड़ाकोलान एवं ड़ाढी अहिरान में पड़ने वाले बल्नरेबुल बूथ पर पुलिस बल एवं मणिपुर एस.ए.पी के साथ एरिया डोमिनेशन किया गया। इस दौरान आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक होकर मतदान करें।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण,भयमुक्त एवं स्वतंत्र सम्पन्न कराए जाने हेतु थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में थाना रैपुरा पुलिस एवं सीपीएमएफ के जवानों द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कस्बा भौरी,करौदीकला,ग्राम बसिला,चरदहा ,बघवारा आदि स्थानों पर भ्रमण करते हुए ग्राम देवकली के बल्नरेबुल बूथ में एरिया डोमिनेशन कर मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया । इस दौरान आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक एवं स्वतंत्र होकर मतदान करें।